तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 31/2020 केशराराम बनाम रेवन्तराम आदि अन्तर्गत धारा 111,128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/02/21	पत्रावली पेश हुई । अवलोकन किया गया । बहस सूनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील लूनकरनसर राजस्व ग्राम आड़सर के साबिका खसरा नम्बर 104 हाल बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 134 तादादी 7.59 हैक्टेयर भूमि कब्जे एवं दखल में निरन्तर चली आ रही हैं। प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बीकानेर एवं तहसीलदार लूनकरनसर के आदेश की अनुपालना में दिनांक 31.03.2019 को हल्का पटवारी द्वारा ग्राम मौजिज व्यक्तियों एवं खेत पड़ौसीयों की उपस्थिति में पुख्ता चिन्ह से जरीब चला कर करवाकर प्राथर्ही की खातेदारी भूमि की सीमा चिन्हीत की गई। प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि मौजा रोही आड़सर के खसरा नम्बर 134 तादादी 7.59 हैक्टेयर भूमि की सीमा पर सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) स्थापित करवाना चाहता है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थरगढी नहीं करने दे रहे जबकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थरगढ़ी करने का अधिकार हैं।अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के पश्चिम दिशा के सींव जोड़ काश्तकार है जिनकी भूमि नया खसरा नम्बर 131 , 133 में स्थित है जो प्रार्थी को पत्थरगढ़ी नहीं करने दे रहे हैं। अतः वकील प्रार्थी द्वारा मौजा रोही आडसर के खसरा नम्बर 134 में तादादी 7.59 हैक्टेयर में पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) कायम कराने का निवदेन किया। पैरोकार राज द्वारा नियमानुसार पत्थर गढ़ी पर सहमति प्रकट की गईं। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संलग्न फर्द मौका अनुसार दिनांक 31.03.2019 को कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) बीकानेर के पत्रांक सीबी/एलआर/2019/1250 दिनांक 15.02.2019 तथा तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर के आदेश दिनांक 06.03.2019 की पालना में पटवार हल्का द्वारा खसरा नम्बर 134 में तादादी 7.59 हैक्टेयर का सीमाज्ञान करने दिनांक 31.03.2019 को मौके पर पहुंच सीमाचिन्ह दिये गये एवं अन्य दस्तावेज नजरी नक्शा, जमाबन्दी ग्राम आडसर खसरा नम्बर 55 , 56,134,249 तादादी 23.9100हैक्टेयर, जमाबन्दी खसरा नम्बर 45,54,133 तादादी 12.6500हैक्टेयर, जमाबन्दी खसरा नम्बर 131 तादादी 2.5300 हैक्टेयर, संवत् 2074–2077 , पटवार क्षेत्र रांवासर संलग्न हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस के मनन कर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार(भू.अ.) लूनकरनसर सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रोही आडसर के खसरा नम्बर 134 में तादादी 7.59 हैक्टेयर में सींवजाड़ काश्तकार को सूचित कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करावे । फैसले की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। 12/4/2021 (भागीरथ शाख) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:49:10 IST
Reason: SelfAttested